आदेश की क्रम सं0 और तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह। (Email id :- dccourt.grd@gmail.com) **अधिहरण अपील वाद सं0–11/2013** **रामधनी साव –बनाम– राज्य(DFO, East)**	ओदश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3
05.02.2021	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। यह अपीलवाद अपीलार्थी रामधनी साव के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भारतीय वन अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 52(A) के तहत् वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अधिहरण वाद सं0–18/2012 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है:–"दिनांक 27.09.2012 को वनपाल, बेंगाबाद एवं स्थानीय पुलिस बल द्वारा संयुक्त अभियान के तहत् गाण्ड्रो अधिसूचित वन से बिना निबंधन सं0 के एक ट्रैक्टर व टेलर को जप्त किया गया, जिसपर अवैद्य रूप से वनक्षेत्र का उत्खनित पत्थर लदा हुआ था। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल द्वारा इस काण्ड के विरूद्ध अधिहरण वाद सं0–18/2012 संधारित की गई एवं सुनवाई के पश्चात दिनांक 17.06.2013 को भारतीय वन अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 52(3) के तहत् वाहन पर लदे पत्थर सहित जप्त ट्रैक्टर व टेलर को राजसात किया गया।" वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपीलवाद दायर किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क की स्वीकृति प्रदान करते हुए वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। **वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह वनरोपण प्रमण्डल द्वारा दिनांक 17.06.2013 को पारित आदेश में निम्न तथ्यों को प्रतिवेदित किया गया है :–** वन क्षेत्र पदाधिकारी, खुरचुट्टा वनरोपण प्रक्षेत्र द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पत्रांक 405, दिनांक 29.09.2012 में यह स्पष्ट किया गया है कि जप्त पत्थर गाण्ड्रो अधिसूचित वन से उत्खनित किया गया है। दिनांक 05.10.2012 को वनपाल द्वारा गाण्ड्रो अधिसूचित वन जाकर विस्तृत अनुसंधान किया गया। घटना स्थल का जांच एवं सर्वेक्षण करने के उपरांत पाया गया कि तीन स्थान पर **1.**15'x13'x5', **2.**12'x11'x3', **3.**14'x10'x4' का गड्ढ़ा पाया गया, जहां से पत्थर उत्खनित कर परिवहन किया गया है। नक्शा से मिलान करने पर पता चला कि अवैद्य उत्खनन स्थल गाण्ड्रो अधिसूचित वन के प्लॉट सं0–1232 के अन्तर्गत है। अभियुक्त–सह–वाहन मालिक रामधनी साव इस वन अपराध से पूर्व वन अपराध रिपोर्ट सं0 8868, दिनांक 03.10.2010 एवं 8869, दिनांक 04.10.2010 के भी अभियुक्त है। इस प्रकार वाहन मालिक आदतन वन अपराधी है। वनभूमि से पत्थर उत्खनन कर चोरी–छिपे बिक्री करना इनका मुख्य पेशा है। यदि पत्थर सही होता, तो वाहन मालिक अथवा चालक द्वारा वर्णित चालान को जप्ती सूचि बनने के पूर्व ही प्रस्तुत किया जाता। स्पष्टतः न्यायालय को दिक्भ्रमित करने के उद्देश्य से वाहन मालिक द्वारा घटना घटित होने के कई दिनों के उपरांत चालान तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। अतएव जप्त वाहन पर लदा पत्थर भारतीय वन अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 4(b)(iv) के तहत् वन पदार्थ है एवं वाहन मालिक व चालक द्वारा भारतीय वन	

अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 33 (i)(c), 41 एवं 42 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो संज्ञेय, गैर जमानतीय एवं दण्डनीय अपराध है। अतः भारतीय वन अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 52(3)के तहत् जप्त ट्रैक्टर(निबंधन सं0 JH-11F-8235) व टेलर(निबंधन सं0 JH-11F-8236) एवं उसपर लदे काले पत्थरों को राज्य सरकार के पक्ष में राजसात किया जाता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है :–

1. यह कि, अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार के वनोत्पाद का उत्खनन अथवा परिवहन नहीं किया गया है। बिना किसी उचित प्रमाण/साक्ष्य के उनके वाहन को अधिहरित किया गया है।
2. यह कि, वाहन पर लदा पत्थर किसी भी अधिसूचित वनभूमि की नहीं है, बल्कि मेसर्स विनय कुमार, ग्राम मंगरोडीह, मौजा पालोखारी, बेंगाबाद में अवस्थित पत्थर खनन पट्टाधारी द्वारा कौशल इण्डस्ट्रीज को 100 CFT पत्थर बिक्री किया गया था, जिसे अपीलार्थी द्वारा वैद्य चालान सं0-A-8551307, दिनांक 27.09.2012 के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था।
3. यह कि, जप्त वाहन एक व्यावसायिक वाहन है, जिसका क्रय अपीलार्थी ने ऋण पर किया है। खुले आसमान में रखे जाने के कारण वाहन को काफी क्षति पहुँच रही है तथा उन्हें वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी व्यवसायिक वाहन को लंबे समय तक जप्त रखना राष्ट्रीय नुकसान की परिभाषा में रखा गया है।
4. यह कि, अपीलार्थी निर्दोष एवं कानूनप्रिय व्यक्ति है। उसके द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः राजसात की कार्रवाई समाप्त करते हुए विपक्षी के वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी द्वारा गाण्ड्रो अधिसूचित वनभूमि से अवैद्य रूप से काले पत्थर का उत्खनन एवं परिवहन कर भारतीय वन अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 33 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो संज्ञेय एवं दण्डनीय है। अतः जप्त वाहन ट्रैक्टर(निबंधन सं0 JH-11F-8235) व टेलर(निबंधन सं0 JH-11F-8236) एवं उसपर लदे पत्थरों को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–: विचारण व निर्णय :–

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता, सहायक लोक अभियोजक एवं अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकन से निम्न तथ्य प्रकाशित होते हैं :–

1. यह कि, अपीलार्थी/वाहन मालिक द्वारा जप्त वाहन पर लदे सामग्रियों से संबंधित कोई भी वैद्य कागजात/सत्यापित प्रमाण न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जप्त वाहन घटित काण्ड में संलिप्त नहीं था एवं न ही वह स्वयं संलिप्त थे। यदि पत्थर सही होता, तो वाहन मालिक अथवा चालक द्वारा वर्णित चालान को जप्ती सूचि बनने के समय प्रस्तुत किया जाता। स्पष्टतः न्यायालय को दिक्भ्रमित करने के उद्देश्य से वाहन मालिक द्वारा बाद में चालान तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।
2. यह कि, वन क्षेत्र पदाधिकारी, खुरचुट्टा वनरोपण प्रक्षेत्र एवं वनपाल द्वारा यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि वाहन पर लदे पत्थरों को अपीलार्थी द्वारा गाण्ड्रो अधिसूचित वन के प्लॉट सं0 1232 से उत्खनन/संग्रहण के पश्चात

3. यह कि, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 296 to 314 VIF-99R, दिनांक 21.01.1944 के तहत् गाण्ड्रो अधिसूचित एवं सीमांकित वन है एवं अधिसूचित वन भूमि से अवैद्य रूप से पत्थर का उत्खनन, संग्रहण व निष्कासन निषिद्ध ही नहीं बल्कि भारतीय वन अधिनियम (बिहार संशोधित), 1989 की धारा 33(i)(c),41&42 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा संज्ञेय व दण्डनीय वन अपराध है।
4. यह कि, सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह द्वारा वाद की सुनवाई के क्रम में पत्थर लदे जप्त उक्त वाहनों ट्रैक्टर(निबंधन सं0 JH-11F-8235) व टेलर(निबंधन सं0 JH-11F-8236) को राजसात करने योग्य बताया गया है।
5. यह कि, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह वनरोपण प्रमण्डल द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकन व सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह के मंतव्य से संतुष्ट होते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारीज किया जाता है एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2013 को यथावत रखा जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

संबंधित पक्ष को आदेश से अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु LCR निम्न न्यायालय भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.09.28 14:39:09 +05:30
Location: 192.168.5.138